

SSC GD 2025

आवसर बैच


POLITY

Class - 05

→ दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण → Criminal (अपराधी)
(protection in respect of conviction)

अनुच्छेद - 20 / Article - 20

- कार्योत्तर विधियों से संरक्षण [अनु० 20 (1)]
(protection from Ex-post facto law) ⇒ ex (A) - Crime (अपराध) (2014)
↓
सजा Penalty ⇒ 20 year
- दोबरे दंड से संरक्षण [अनु० 20 (2)]
(protection from double jeopardy)
- आत्म अभिशंसन से संरक्षण [अनु० 20 (3)]
(protection from self-in-crimination)



सजा ↑
 (A) सजा (Penalty) → 20 वर्ष
 (B) ⇒ 20 वर्ष
 (C) ⇒ 30 वर्ष
 अपराध उसके अनुसार सजा → घटी हुई सजा के अनुसार सजा

Rojar with Ankit

→ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

(Protection of life and personal liberty)

- अनुच्छेद-21 / Article-21 → \swarrow Art. 21 → जीवन जीने का अधिकार (Right to life)
- शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। Right to education was declared a fundamental right under Art. 21.
- 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम-2002 द्वारा अनु. 21 क के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया। The constitutional Amendment Act, 2002 gave the right to education the status of a fundamental right under Art. 21 A.

ex - ① निःशुल्क खाद्य सामग्री (free food items)

② निःशुल्क चिकित्सा सहायता (free medical help)

③ जीवन साथी चुनने का अधिकार (love marriage)

④ निजता का अधिकार (Right to privacy)

⑤ शिक्षा का अधिकार → Art. 21(A) ⇒ 86 वाँ [A 2002]
(Right to education)

↓
6-14 वर्ष → बच्चे (children)

↳ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
free & compulsory education

- अनुच्छेद-21-क, के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करेगा। According to Art. 21-A, the state shall provide free and compulsory education for all children of age of 6 to 14 years.

Rojar with Ankit

→ गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
(Protection against arrest and detention)

अनुच्छेद - 22 / Article - 22

• गिरफ्तारी किये गये व्यक्तियों के अधिकार
(Rights of persons arrested)

1. गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार।

Right to know the reasons for arresting.

2. अपनी रूचि के विधि व्यवसायी (अधिवक्ता) से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। Right to consult and defend a legal practitioner (advocate) of one's choice.

3. गिरफ्तारी से 24 घण्टे के अंदर (यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर) निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार। Right to be produced before nearest magistrate within 24 hours of arrest (excluding the time required travel).

4. मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घण्टे से अधिक समय तक अग्रिम में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार।

Right not to be detained in custody for more than 24 hours without the authority of the magistrate.

① गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार

② अधिवक्ता (Advocate) से परामर्श (consult) का अधिकार

③ गिरफ्तारी के 24 घण्टे के अंदर 2 गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना।

④ मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घण्टे से गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है।

Rojar with Ankit

→ बलात् श्रम का प्रतिबंध (Prohibition of forced labour)

अनुच्छेद 23 (1) / Article 23 (1)

- (i) दासप्रथा / slavery
- (ii) बेगार अथवा बलात्श्रम / forced labour
- (iii) मनुष्यों की वस्तुओं की श्रृंति क्रय - विक्रय | Buying and selling of human beings like commodities.
- (iv) स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार | Immoral trafficking of women and children.
- (v) बंधुआ मजदूरी आदि | Bounded labour etc.

→ बालकों के नियोजन का प्रतिबंध → Art. 24
(Prohibition of employment of children)

इसके अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किसी गया है।

Under this, employment of children below 14 years of age in factories, mines or any other hazardous work is prohibited.

Art-24 ⇒ 14 वर्ष से कम आयु = बच्चे (children)
below 14 years of Age

Hotels, Homes

कार्य नहीं करवाना

14-18

7 वर्ष

101

Rojar with Ankit

→ अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता
(Freedom of conscience etc.)

अनुच्छेद - 25 / Article - 25

(Accept any religion)

सिक्खों को कृपाण रखने का अधिकार।

धर्म (Religion)

- ① किसी भी धर्म को अपना सकते हैं।
- ② धर्म का पुचार-पुसार (Propagation of religion)
- ③ आचरण (Practice)

→ धार्मिक कार्यों के प्रबन्धक की स्वतंत्रता
(Freedom to Manage religious affairs)

अनुच्छेद - 26 / Article - 26

यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गयी है। This freedom has been given not to individuals but to religious sects.

धर्म - आर्य समाज स्वतंत्रता ⇒ धार्मिक संप्रदायों → ① लोगों का समूह (Group of people)
सायबक मिशन (freedom) के लिए। for
RSS ⇒ राष्ट्रीय सेवक संघ etc. religious denominations - ② एक धर्म (one religion)
③ एक उद्देश्य (one objective)

→ धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति
(Freedom to taxes for religious promotion)

अनुच्छेद - 27 / Article - 27

→ धार्मिक कर (Religious tax)

→ बालक (Fees)

↓
Services / सेवाओं ✓

जमिया कर (Tax)

↓
हिन्दु धर्म के लोगों से लिया जाने वाला कर

Rojar with Ankit

→ शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता
(Freedom in Educational Institutions)

अनु०-28 का खण्ड (1) राज्य निधि से पूर्णतः के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिली जाने का निषेध करता है।

Clause (1) of Article-28 prohibits the imparting of religious education in educational institutions wholly maintained out of state funds.

Art. 28 → शिक्षण संस्थाएँ → सरकार का पैसा
educational institutions लगा है।

! > धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती।

→ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
(Establishment of Educational Institutions)

अनु० 30 (1) के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं स्थापित करके तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया

है। Article 30(1) gives the right to established and administer educational institutions.

Art. 29 & Art. 30 > भारतीय नागरिक (Indian citizens)
अल्पसंख्यकों के लिए (for Minorities)
↓
संख्या में कम
→ भाषा (language), धर्म (religion)

Rojar with Ankit

Art- 29 => अल्पसंख्यक (Minorities) => भाषा (language)
लिपि (script)
संस्कृति (culture) } सुरक्षित (Protect)

Art. 30 => अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार।

ex - मदरसा

→ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (Protection of Interests of minorities)

अनु. 29 (1) / संघ. 21 (1)

भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी अपनी विशेष भाषा (language), लिपि (script) या संस्कृति (culture) है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।
Every citizen of India who has his own distinct language, script or culture shall have the right to preserve it.

→ संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनु. 32

डॉ. भीम राव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and soul) कहा है।

Art. 32.

Dr. Bhim Rao Ambedkar called it the heart and soul of the Indian constitution.

Rojar with Ankit

→ पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है

यथा -

- ① बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- ② परमादेश (Mandamus),
- ③ प्रतिषेध (Prohibition),
- ④ उत्प्रेषण (Certiorari) तथा
- ⑤ अधिकार सूचका (Quo Warranto)